

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 98/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/102) श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2024	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <p>1. श्री आलोक जैन - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1</p> <p>अनवान</p> <p>1. श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम पिता श्री शंकरलाल ब्राह्मण, निवासी बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर। 2. श्री महेश पिता श्री शंकरलाल ब्राह्मण, निवासी बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर। 3. श्री जगदीश पिता श्री चिरंजीलाल ब्राह्मण, निवासी बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर। 4. श्री शरद पिता श्री चिरंजीलाल ब्राह्मण, निवासी बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।</p> <p>अपीलार्थी</p> <p>1. सरकार जरिये तहसीलदार, सलुम्बर 2. श्री नारायण पिता श्री चिरंजीलाल ब्राह्मण, निवासी बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।</p> <p>प्रत्यर्थी</p> <p>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 30.09.2021, प्रकरण संख्या 05/2021, बउनवानी श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर</p> <p>निर्णय</p> <p>दिनांक 06.09.2024</p> <p>उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 30.09.2021, प्रकरण संख्या 05/2021, बउनवानी श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर, के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर समक्ष भू.अ. निरीक्षक, वृत्त बरोड़ा एवं पटवारी हल्का बामनिया द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि ग्राम बिचलीमगरी की आराजी संख्या 3415 रकबा 6.25 है., 3454 रकबा 0.27 है., 3455 रकबा 0.27 है., 3411 रकबा 0.18 है., कुल कित्ता 4 रकबा 0.97 है. भूमि पर श्री लक्ष्मीनारायण पिता शंकर, श्री महेश पिता शंकर, जगदीश पिता चिरंजीलाल, नारायण पिता चिरंजीलाल, जगदीश पिता चिरंजीलाल निवासी बिचलीमगरी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 29.01.2021 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने 	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 98/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/102) श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>का आदेश प्रसारित किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तहसीलदार सलुम्बर के निर्णय दिनांक 29.01.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30.09.2021 पारित किया। <p>न्यायालय अति.जिला कलक्टर, उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30.09.2021 व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाधित प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 04.09.2024 को सुनी गई। अन्य बावजूद सुचना अनुपस्थित। दौरान कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपटित धारा-151 जा.दी. का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति पेश नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपटित धारा-151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया और एक ही दिवस में निर्णय पारित कर दिया। ग्राम बामनिया, तहसील सलुम्बर के पुराने खसरा नम्बर 3478मी. थे, जिसमे से नये नम्बर 5740/3415 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3415 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 25.07.1975 को खोला गया। उक्त नामान्तरकरण में दोनो आराजीयात को रकबा ढाई बीघा आबादी मे परिवर्तन किया गया। अपीलान्ट्स का कब्जा उक्त आराजीयात पर था। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी मे अंकन न होने से सेटलमेंट मे उक्त भूमि को चरनोट दर्शाया गया है। अपीलान्ट्स वर्ष 1955 के पूर्व से काबिज हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के मकान बने हुए हैं एवं अपीलान्ट्स के पास अन्य कोई मकान न होने से अपीलान्ट्स को बेदखल नहीं किया जावे। वर्ष 1974 मे उक्त मकान एवं बाड़े बने होने से उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर चरनोट से भूमि को बिलानाम आबादी दर्ज करने के आदेश पर नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 25.07.1975 को आबादी दर्ज होने की स्वीकृति जारी हुई,</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 98/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/102) श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>परन्तु दौराने सेटलमेंट इस का अंकन न होने से भूमि चरनोट दर्ज रह गई। आराजी संख्या 3415 एवं 5740/3415 पर अपीलान्ट्स के मकान बने हुए हैं। अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि बिचली मगरी की खसरा संख्या 3401 रकबा 1.5300 हेक्टेयर मे स्थित है। अपीलान्ट्स ने अपनी खातेदारी भूमि मे से ढाई बीघा भूमि चारागाह के बदले अधिनस्थ न्यायालय को देने के लिये भी कहा, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील में भी कथन प्रस्तुत किये गये, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी निर्णय पारित कर दिया जो काबिल निरस्त के है। उक्त भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा उपखण्ड अधिकारी समक्ष घोषणा का वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो लम्बित है। उक्त भूमि चारागाह नहीं होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध अविधिक आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश कोरोनाकाल में पारित किये जाने से अपीलार्थी को इसकी जानकारी ससमय नहीं हो सकी और जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। राजस्व ग्राम बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर की उपरोक्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया जाने से नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं और जिस प्रथम अपील अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया। कथित भूमि चारागाह हेतु आरक्षित है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मे स्वयं चारागाह भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया हैं। अपीलार्थी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिस पर केवल अतिक्रमी के बेदखली के प्रावधान है।</p> <p>हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में कोविड-19 कोरोना काल के लाकडॉउन के कारण अपील देरी से दायर करने का उल्लेख किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 98/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/102) श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>10.01.2022, मिसलेनियस एप्लीकेशन न. 665/221 इन एसएमडब्ल्यू (सी) न. 03/2020, मिसलेनियम एप्लीकेशन न. 21/2022 में दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक सभी तरह के प्रकरण में मयाद को क्षम्य करने हेतु आदेश किया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः न्यायहित में हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर समक्ष भू.अ. निरिक्षक, वृत्त बरोड़ा एवं पटवारी हल्का बामनिया द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम बिचलीमगरी की आराजी संख्या 3415 रकबा 6.25 है., 3454 रकबा 0.27 है., 3455 रकबा 0.27 है., 3411 रकबा 0.18 है., कुल कित्ता 4 रकबा 0.97 है. भूमि पर श्री लक्ष्मीनारायण पिता शंकर, श्री महेश पिता शंकर, जगदीश पिता चिरंजीलाल, नारायण पिता चिरंजीलाल, जगदीश पिता चिरंजीलाल निवासी बिचलीमगरी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 29.01.2021 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने का आदेश प्रसारित किया। तहसीलदार सलुम्बर के निर्णय दिनांक 29.01.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30.09.2021 पारित किया। उक्त निर्णयों से व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।</p> <p>पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को किसी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 98/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/102) श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। अपीलान्ट्स का कथन है कि वह चारागाह भूमि के बदले अपनी खातेदारी भूमि छोड़ने को तैयार हैं, किन्तु इस आशय बाबत उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में कोई प्रत्युत्तर प्रेषित किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। यदि सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन हुआ हो या जमाबंदी में अंकन रह गया हो तो इसमें सुधार हेतु अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। मामले में अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित भूमि चारागाह है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जगपाल सिंह वगैरह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के प्रकरण (1132/2011 आर.एल.डब्ल्यू. (सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 389) में सामुदायिक भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण व नियमन के संबंध में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-</p> <p>We find no merit in this appeal. The appellants herein were trespassers who illegally encroached on to the Gram Panchayat land by using muscle power/ money power and in collusion with the official and even with the Gram Panchayat. We are of the opinion that such kind of blatant illegalities must not be condoned. Even if the appellants have built houses on the land in question they must be ordered to removed their constructions, and possession of the land in question must be handed back to the Gram Panchayat. Regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village. The letter dated 26-9-2007 of the Government of Punjab permitting regularization of the possession of these unauthorised occupants is not valid. We are of the opinion that that such letters are wholly illegal and without jurisdiction. In our opinion such illegalities cannot be regularized. We cannot allow the common interest of the villagers of suffer merely because the unauthorized occupation has subsisted for many years."</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से यह अभिनिर्णीत किया है कि सामुदायिक भूमियों के नियमन के संबंध में यदि किसी राज्य सरकार द्वारा कोई</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 98/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/102) श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण व अन्य बनाम तहसीलदार सलुम्बर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अधिसूचना जारी भी की गई हैं तो ऐसी अधिसूचनाएँ व्यर्थ एवं शून्य हैं। उन्होंने व्यापक जनहित में सामुदायिक भूमियों पर से अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त एवं बिना देरी के कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की होकर सार्वजनिक भूमि है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है।</p> <p>अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को बेदखल करने व कब्जा हटाने का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा तहसीलदार, सलुम्बर के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 एवं तहसीलदार, सलुम्बर का निर्णय दिनांक 29.01.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	